न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 106–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–12–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण कमांक 447/अपील/2008–09.

नागूसिंह पिता पर्वतसिंह
निवासी ग्राम टकरावद, तहसील
श्यामगढ़ जिला मन्दसौर

———आवेदक

विरूद्ध

राधेश्याम पिता कंवरलाल मीणा
निवासी ग्राम टकरावद, तहसील
श्यामगढ़ जिला मन्दसौर

———अनावेदक

– – – – – –

श्री महेश योगी, अभिभाषक, आवेदक

– – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 9 नवम्बर 2015)

– – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के आदेश दिनांक 26–12–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप इस प्रकार है कि कृषि भूमि सर्वे 565 कमांक 0.730 आरे निगरानीकर्ता को विकय बन्दोबस्त के समय कब्जे के मान एवं मौके के मान से बन्दोबस्त अधिकारी ने उभय पक्ष

की सहमति से आवेदक का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किया। बन्दोबस्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध बन्दोबस्त सुधार के लिए अनावेदक द्वारा आवेदन तहसील न्यायालय में दिया जिपर से दिनांक 18–10–2004 को टप्पा तहसीलदार द्वारा निगरानीकर्ता का नाम कम करते हुये इन्द्राज दुरूस्ती का आदेश दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा न्यायालय राजस्व अधिकारी गरोठ के समक्ष अपील प्रकरण कमांक 34/05–06 प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 13–3–2006 को आदेश पारित करते हुये दिनांक 18–10–2004 का आदेश निरस्त किया व इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया कि हित रखने वाले सभी पक्षकारों को सुनकर आदेश पारित करे। उक्त आदेश पालन में नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 26/अ–6(अ)/2005–06 में दिनांक 13–9–2006 को सभी पक्षों को सुनने के पश्चात आदेश पारित किया कि दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है कि भूमि का कय विकय हुआ है और उसी कय विकय के आधार पर आवेदक का नाम भूमिस्वामी के रूप राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है इसलिए बन्दोबस्त त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है और यदि कोई असंतुष्ट है तो बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जाना चाहिये। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गरोठ के समक्ष अपील प्रस्तु की जो प्रकरण कमांक 5/अपील/2006–07 पर दर्ज होकर दिनांक 20–3–2008 को निर्णित की गई वह निर्णय में तहसीलदार का आदेश अपासत कर संबंधित लोगों को पक्षकार बनाकर गुण–दोष के आधार पर कय–विकय की जांच अभिलेख से करते हुये प्रकरण का निराकरण किया जावे। उक्त आदेश के पालन में तहसीलदार श्यामगढ़ द्वारा प्रकरण में जांच कर दिनांक 30–12–2009 को विवेचना करते हुये दिनांक 08–1–94 के बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश

के अनुसार अमल दरामद करने का आदेश पारित किया। अनावेदक ने न्यायालय तहसीलदार शामगढ़ के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 15—6—2010 के द्वारा निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 26—12—14 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुये अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा विवादित भमि के कय विकय के आधार पर मौके पर कब्जे के मान से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया गया था जो कि प्रत्यर्थी के ज्ञान में था व उसकी सहमति से किया गया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी तर्क किया कि उक्त भूमि के नामांतरण के संबंध में बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा वर्ष 1994 में निगरानीकर्ता का नाम चढ़ाने की कार्यवाही की गई थी। ऐसी स्थिति में इतने समय तक उसके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की व सहमति से किये गये नामांतरण को इतने सालों बाद जो चुनौती दी गई वह विधि के अनुकूल नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विधि के विपरीत जो आदेश पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अतः निगरानी स्वीकार की अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के सत्यापित प्रति अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट विवेचना करते हुये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले गये त्रुटिपूर्ण आदेश को निरस्त किया है। आवेदक अभिभाषक अपर आयुक्त के आदेश में की गई त्रुटि को बतालाने में असमर्थ रहे हैं। इसके अतिरिक्त म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50(1) में यह प्रावधानित है कि–

"मण्डल किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा दिए गए आवेदन पर या कलेक्टर या बन्दोबस्त अधिकारी किसी भी समय स्वप्रेरण से किसी ऐसे मामलो का जो विनिश्चित किया जा चुका हो या किसी ऐसी कार्यवाही का जिसमें उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया जा चुका हो, और जिसमें कोई अपील न होती हो और यदि यह प्रतीत होता हो कि अधीनस्थ राजस्व अधिकारी–
(क) ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो इस संहिता द्वारा उसमें निहित न की गई हो, या
(ख) इस प्रकार निहित की गई अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है या,
(ग) ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अविधिपूर्ण या सारवान अनियमितता की है, जो मण्डल या कलेक्टर या बंदोबस्त अधिकारी मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।"

स्पष्ट है आवेदक अभिभाषक यह बतलाने में असमर्थ रहे कि अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करते समय किस अधिकारिता का गलत प्रयोग किया अथवा आदेश पारित करने में विधि अथवा न्याय की क्या अनियमितता की है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर